<u>एम०ए०सी०टी० प्रकरण क्रमांक-50/2023 श्रीमती सावित्री बाई चंद्रा वगैरह विरुद्ध रथराम वगैरह</u>

Witness No.-------01-----for-----आवेदक साक्षी ----Deposition takenthe---09.10.2024---day of------बुधवार-Witness's apparent age--47 वर्ष.....

States on affirmation---शपथपूर्वक----my name is- श्रीमती सावित्री बाई W/of---- स्व० बलीराम -- occupation ------- गृहणी.....

address---- सेंद्रीपाली तहसील करतला, जिला कोरबा (छ०ग०) ----------

---

<u>समय 03:50 बजे से</u>

<u>मेरे द्वारा प्रकरण में आदेश 18 नियम 4 व्य०प्र०सं० के अंतर्गत मुख्य परीक्षण शपथपत्र में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कंडिका 01 से 05 है । साक्षी आज दिनांक 09.10.2024 को अधिकरण में उपस्थित है, जिसे शपथ दिलाकर दस्तावेज प्रदर्शांकन किये जाने हेतु मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

06. मेरे द्वारा प्रकरण में विभिन्न दस्तावेजों की सत्य प्रति प्रस्तुत किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी०-01, प्रथम सूचना पत्र प्र०पी०-02, नालिसी प्रथम सूचना पत्र बिना नंबरी प्र०पी०-03, अपराध विवरण का फार्म प्र०पी०-04, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्र०पी०-05 एवं 06, अस्पताली मेमो प्र०पी०-07, 08, नोटिस प्र०पी०-09, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी०-10, शव परीक्षण के लिये आवेदन प्र०पी०-11, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०-12, कार्य प्रमाण पत्र प्र०पी०-13, जप्ती पत्रक प्र०पी०- 14, 15, ड्रायविंग लायसेंस प्र०पी०-16, गिरफ्तारी प्र०पी०- 17 है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रेमलाल केंवट अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01, 02</u>

07. घटना दिनांक 16.07.2022 की है । घटना के समय मैं अपने घर में थी । यह कहना सही है कि घटना होते हुए मैं नहीं देखी हूं । यह कहना गलत है कि घटना के समय मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा था । यह कहना गलत है कि मेरा लड़का मजदूरी का कोई काम नहीं करता था । यह कहना गलत है कि मेरा लड़का

खुद अपनी मोटर सायकल से गिरकर मृत हुआ है । यह कहना गलत है कि मेरा लड़का महिने में दस हजार रूपये नहीं कमाता था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस० के० मोदी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03

08. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपने पुत्र सुदामा चंद्रा की घटना दिनांक को उसकी उम्र, व्यवसाय एवं मासिक आय समर्थन का कोई भी दस्तावेज मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं विभिन्न मदों में खर्चों का बिल भी मामलें में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

09. यह कहना सही है कि घटना के समय मेरा पुत्र अविवाहित था । यह कहना सही है कि मेरे पुत्र का ड्रायविंग लायसेंस पेश नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि मोटर सायकल क्रमांक सी०जी०-12-ए०क्यू०-0217 का आर०सी० बुक पेश नहीं किया गया है, जिसमें मृतक का नाम स्वामी के रूप में दर्ज है । यह कहना सही है कि दो मोटर सायकलों की आमने-सामने से टक्कर हुई थी, इसके बावजूद मेरा द्वारा मोटर सायकल क्रमांक सी०जी०-12-ए०क्यू०-0217 के मालिक एवं बीमा कंपनी को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ।

10. यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखी है इसलिए नहीं बता सकती कि मौके पर किसकी लापरवाही से दुर्घटना घटी होगी । यह कहना भी सही है कि घटना की रिपोर्ट किस थाने में किस दिन और किसके द्वारा की गयी थी मैं नही बता सकती हूं । मैं कोई काम नहीं करती हूं । मेरी लड़की की शादी नहीं हुई है । घटना के पहले मेरा पुत्र कक्षा बारहवीं में पढ़ता था । यह कहना सही है कि मै अपने पुत्र की देख-रेख एवं पालन-पोषण करती थी ।

11. यह कहना सही है कि मेरे पुत्र के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सामने आ रही मोटर सायकल को देखकर मेरा पुत्र गिर गया । यह कहना गलत है कि मैं क्षतिपूर्ति पाने के उद्देश्य से झूठा

<u>एम०ए०सी०टी० प्रकरण क्रमांक-50/2023 श्रीमती सावित्री बाई चंद्रा वगैरह विरुद्ध रथराम वगैरह</u>

मामला पेश की हूं ।

<u>समयः-04:10 बजे तक ।</u>

वाचित, सत्य, स्वीकृत ।

सही/-
(अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
तृतीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित ।

सही/-
(अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
तृतीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर... ... ...